हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	21.05.2019 पत्रावली पैश हुई। वादी अधिवक्ता द्वारा आज सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर इस मौजूदा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 क आर.टी.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर नोट प्रेस का अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। ऐसी स्थिति में इस वादपत्र बाबत घोषणा में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः वादी का वादपत्र वादी के नोट प्रेस किये जाने से इसी स्तर पर ड्रोप किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। Key	Note press 21/5/19